न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी — अक्षय गोदारा, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या	प्रविष्टि दिनांक	निर्णय दिनांक
मैनुअल नं. 8/अपील/2025 (GCMS No. 2025/18)	28.01.2025	06.01.2026

1. देव्या उर्फ देवीलाल आ. कंवरया जाति खटीक, निवासी पीपल्दा हाड़ों का, तहसील तालेडा, जिला बून्दी।
2. धन्ना आ. कंवरया जाति खटीक, निवासी पीपल्दा हाड़ों का, तहसील तालेडा, जिला बून्दी।
3. दुर्गा आ. कंवरया जाति खटीक निवासी पीपल्दा हाड़ों का **(मृतक)**

जर्ये कायम मुकामान –

3/1. संजय कुमार आ.स्व.दुर्गालाल जाति खटीक, निवासी कन्सुआ, उद्योगपुरी, कोटा (जिला कोटा)
3/2. विनोद कुमार आ.स्व.दुर्गालाल जाति खटीक, निवासी कन्सुआ, उद्योगपुरी, कोटा (जिला कोटा)
3/3. राकेश कुमार आ.स्व.दुर्गालाल जाति खटीक, निवासी कन्सुआ, उद्योगपुरी, कोटा (जिला कोटा)
3/4. अरूण कुमार आ.स्व.दुर्गालाल जाति खटीक, निवासी कन्सुआ, उद्योगपुरी, कोटा (जिला कोटा)
3/5. महेश कुमार आ.स्व.दुर्गालाल जाति खटीक, निवासी कन्सुआ, उद्योगपुरी, कोटा (जिला कोटा)
3/6. विमलाबाई पत्नी स्व.दुर्गालाल जाति खटीक, निवासी कन्सुआ, उद्योगपुरी, कोटा (जिला कोटा)

– अपीलांटस

बनाम

1. मन्नालाल आ. छीतर जाति गुर्जर नि. ठीकरिया चारणान **(मृतक)**

जर्ये कायम मुकामान –

1/1. मेघराज आ. मन्नालाल जाति गुर्जर नि. ठीकरिया चारणान तहसील तालेडा, जिला बून्दी (राज.)

2. लटुरलाल आ. छीतर जाति गुर्जर नि. ठीकरिया चारणान **(मृतक)**

जर्ये कायम मुकामान –

2/1. धर्मराज आ. लटुरलाल जाति गुर्जर नि. ठीकरिया चारणान तहसील तालेडा, जिला बून्दी (राज.)

3. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार, तालेडा

– रेस्पोडेंटस

जिला कलक्टर; बून्दी

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित–

अपीलांटस की ओर से श्री आशुतोष शर्मा, एडवोकेट।
रेस्पोडेंट सं. 1, 2 की ओर से श्री वहीद अहमद शेख एडवोकेट।
रेस्पोडेंट सं. 3 की ओर से पेरोकार सरकार।

निर्णय

यह अपील तहसीलदार, तालेडा द्वारा प्रकरण सं. 02/2019 बउनवान देव्या वगै. बनाम मन्नालाल वगै. अन्तर्गत धारा 183(बी) आर.टी.एक्ट में पारित आदेश दिनांक 20.11.2024 से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 इस न्यायालय में पेश की गयी है।

अपील प्रस्तुत होने पर प्रविष्टि पंजिका क्रमांक 8/2025 पर दर्ज रजिस्टर की जाकर GCMS नं. 2025/18 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। रेस्पो. जरिये सम्मन आहूत किये तथा अधीनस्थ न्यायालय की आवंटन पत्रावली तलब की गयी।

तत्पश्चात बहस उभय पक्षकारान् सुनी गयी ।

अभिभाषक अपीलांटस ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि रेस्पो. के पिता (मन्नालाल, लटुरलाल) ने प्रार्थीगण अपीलांट के कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा संख्या 84 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा ग्राम पीपल्दा हाडों का, तहसील तालेडा पर अनाधिकृत कब्जा कर गेहू की फसल बो दी जिसका रेस्पोडेंट को कोई कानूनी अधिकार नहीं है। अपीलांट अनुसूचित जाति के सदस्य है तथा रेस्पोडेंटस सवर्ण समुदाय के है। इसलिए अपीलांटस द्वारा रेस्पोडेंट के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183–बी राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तहत तहसीलदार तालेडा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य, भू अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट प्राप्त कर उपखण्ड अधिकारी के निर्णय व तहरीर बेचान के आधार पर राज0 काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 का उल्लंघन मानते हुये दिनांक 20.11.2024 को पत्रावली निर्णित करते हुए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 175 के अन्तर्गत प्रस्ताव तैयार कर उपखण्ड अधिकारी को भिजवाये जाने के आदेश दिये गये, जबकि पत्रावली की आदेशिका में साबिक कार्यवाही हेतु पेशी नियत चली आ रही थी। पत्रावली लम्बे समय तक साबिक कार्यवाही के रूप में लम्बित रही। इस अन्तराल में रेस्पोडेंट मन्नालाल की मृत्यु होने बाबत दिनांक 17.09.2019 को पत्रावली रिकार्ड के आधार पर मन्नालाल के पुत्र को नोटिस जारी करने का आदेश

जिला कलेक्टर; बून्दी

पारित किया गया, जबकि मृतक मन्नालाल के पुत्र मेघराज तथा पुत्रियां ममता, सुनिता एवं पत्नी कान्तिबाई वारिसान है जिनको कानूनी रूप से कार्यवाही में पक्षकार संयोजित किया जाना चाहिए था। इसी कम में अप्रार्थी लटुरलाल की मृत्यु हो जाने के बाद उसके वारिसान के संबंध में भी किसी प्रकार का कोई आदेश पारित नहीं किया गया और न ही उसके वारिसान को रिकार्ड पर लिया गया। ऐसी स्थिति में उक्त आदेश कायम मुकाम के संबंध में सर्वथा विधि विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है। पटवारी रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित किया गया, जबकि पटवारी हल्का के बयान भी कलमबद्ध नहीं किये गये। पटवारी रिपोर्ट में भूमि का बेचाननामा बाबत तथ्य अंकित कर कथित बेचान 110/– के नोनज्यूडिशियल स्टाम्प पर लेखबद्ध होना बताया गया है। जबकि उक्त स्टाम्प भूमि हस्तान्तरण के संबंध में ग्रहण योग्य नहीं है, उक्त दस्तावेज पंजीयन विधि अनुरूप पंजीबद्ध नहीं है, सभी विक्रेतागण खातेदारान के हस्ताक्षर नहीं है तथा गांव का नाम भी अंकित नहीं है। उक्त तहरीर बेचान पूर्णतया संदिग्ध होने के बावजूद काल्पनिक रूप से एवं अवैध रूप से प्रकरण को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 175 के दायरे में मानते हुये निस्तारण किया गया, जो विधिविरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय का कथित आदेश दिनांक 20.11.2024 प्रार्थीगण की बहस सुने बिना पारित किया गया, जिसके बाबत अपीलांट को कोई जानकारी नहीं दी गई तथा पत्रावली बाबत जानकारी करने पर तारीख पेशी के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई एवं मौखिक तौर पर बताया गया कि पत्रावली तहसीलदार महोदय के पास है, वहां से आने पर जानकारी दे दी जावेगी। प्रार्थी ने अपने अभिभाषक के जर्ये भी अनेक बार जानकारी चाही जाने पर भी जानकारी नहीं दी गई। उक्त आदेश की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 03.01.2025 को तालेडा तहसील में पूछताछ करने पर हुई, जिस पर प्रार्थी ने बिना विलंब किये उसी दिन नकल हेतु आवेदन किया नकल दिनांक 17.01.2025 को प्राप्त हुई। जानकारी से पूर्व के समय एवं नकल प्राप्ति में लगे समय को मुजरा किये जाने हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पृथक से पेश है। अपील जानकारी की तिथि से अन्दर अवधि पेश है। अभिभाषक अपीलांटस द्वारा अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 20.11.2024 निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

अभिभाषक रेस्पोडेंट ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलांट द्वारा रेस्पो. के विरूद्ध धारा 183–बी रा.टि. एक्ट के तहत तहसीलदार तालेडा के समक्ष भूमि ख.सं. 84 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा वाके ग्राम पीपल्दा हाडों का, के संबंध में मन्नालाल, लटूरलाल को बेदखल करने के लिए कार्यवाही पेश की गई थी, जिसमें तहसीलदार तालेडा द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.11.2024 के विरूद्ध अपीलांटस द्वारा यह अपील पेश की है जो प्रथमदृष्टया अवधि बाधित होने से मियाद के बिन्दू पर ही खारिज किये जाने योग्य है। धारा

जिला कलक्टर, बून्दी

183–बी रा.टि. एक्ट के तहत अपीलांटस द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया था। विवादित भूमि ख.सं. 84 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा वाके ग्राम पीपल्दा हाडों का, को प्रार्थीगण द्वारा मन्नालाल, लटूरलाल को दिनांक 30.04.1987 को बेचान कर कब्जा संभला दिया था। उक्त भूमि बेचान करने से प्रार्थीगण का धारा 183–बी रा.टि. एक्ट का प्रार्थना पत्र कानूनन चलने योग्य नहीं था। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में धारा 175 के तहत कार्यवाही करने का आदेश दिया गया, जो सही है। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में यह तथ्य अंकित किया है कि बेचान की तहरीर मानकर तहसीलदार तालेडा द्वारा दिनांक 20.11.2024 को जो आदेश पारित किया है उसके अनुसार धारा 42 रा.टि. एक्ट के तहत बेचान प्रतिबंधित होने से उक्त कथित बेचाननामा के आधार पर धारा 175 की कार्यवाही नहीं की जा सकती। अपीलांट का उक्त तर्क कानूनन चलने योग्य नहीं है, क्योंकि अपीलांटस द्वारा उक्त भूमि का बेचान कर दिये जाने से रेस्पो. के विरूद्ध धारा 183–बी रा.टि.एक्ट की कार्यवाही नहीं बनती है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त भूमि के बेचान की स्थिति सामने आने से धारा 175 राज. काश्तकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही करने के संबंध में निर्णय में तथ्य अंकित किया है जो सही है। इस प्रकार प्रार्थीगण का धारा 183–बी राज0 टीनेन्सी एक्ट के तहत प्रार्थनापत्र चलने योग्य नहीं होने से खारिज किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 20.11.2024 को पारित आदेश में किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि नहीं की है। दोनों पक्षों की सुनवाई की जाकर पारित किया गय आदेश कानूनी सम्मत है जिसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप किये जाने की आवश्यकता नहीं है। अभिभाषक रेस्पोडेंट द्वारा अपील अपीलांटस खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। जिससे प्रकट हुआ कि ग्राम पीपल्दा हाडों का, की नकल जमाबंदी संवत् 2070 से 2073 अनुसार कृषि भूमि खसरा संख्या 84, 410, 411 किता 3 कुल रकबा 9 बीघा 18 बिस्वा के खातेदार देव्या, धन्ना, दुर्गा पि0 कंवरया, कौम खटीक निवासी पीपल्दा हाडों का है। उक्त खातेदारान द्वारा दिनांक 11.01.2019 को तहसीलदार तालेडा के न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183(बी) आर.टी.एक्ट पेश किया जाकर उनकी कृषि भूमि में से खसरा संख्या 84 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा पर अप्रार्थीगण द्वारा किये गये अवैध कब्जे को हटाकर प्रार्थीगण को पुनः कब्जा दिलाये जाने का निवेदन किया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई उभयपक्ष प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अस्वीकार करते हुये आदेश दिनांक 20.11.2024 पारित किया गया, जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांटस द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

अपील में अपीलांटस की आपत्ति है कि उक्त कृषि भूमि बाबत कथित बेचान तहरीर के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183–बी आर.टी.एक्ट खारिज कर दिया गया, जो गलत है। जबकि इस संबंध में रेस्पो. का जवाब है कि विवादित भूमि का बेचान कर रेस्पो. को कब्जा संभला दिये जाने से अपीलांटस का प्रार्थना पत्र धारा 183–बी आर.टी.एक्ट के तहत चलने योग्य नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज किया गया जो सही है। इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रकट है कि उपखण्ड अधिकारी तालेडा द्वारा 66/दावा/11 एवं 86/दावा/13 में पारित निर्णय दिनांक 23.05.2016 के अनुसार रेस्पो. की ओर से अधिकार घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का वाद अपीलांटस के विरूद्ध पेश किया गया था, जिसमें पारित निर्णयानुसार प्रतिवादी ने वाद विषयक आराजी वादी को अवैध रूप से हस्तांतरित की है तथा वादी ने अवैध रूप से उक्त आराजीयात पर कब्जा प्राप्त किया है। इस प्रकार वादीगण किसी भी घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा के अधिकारी नहीं होने से वाद वादी खाारिज किया गया। साथ ही तहसीलदार तालेडा को आदेश दिया गया कि खातेदार प्रतिवादीगण अनुसूचित जाति के व्यक्ति होने से उनके द्वारा विक्रय पत्र दिनांक 30.4.87 के द्वारा बेचान/हस्तान्तरण सामान्य वर्ग वादीगण को किया गया जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 के तहत प्रतिबंधित है, ऐसे में उक्त आराजी बाबत प्रकरण अन्तर्गत धारा 175 आर.टी. एक्ट सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करे।

उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि उपखण्ड अधिकारी तालेडा द्वारा दिनांक 23.05.2016 को निर्णय पारित किये जाने के बाद अपीलांटस द्वारा दिनांक 11.01.2019 को तहसीलदार तालेडा के न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183(बी) आर.टी.एक्ट पेश किया गया। तहसीलदार तालेडा द्वारा बाद सुनवाई उक्त तथ्य प्रकट होने के कारण प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज किया गया तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 175 के अन्तर्गत प्रस्ताव तैयार कर उपखण्ड अधिकारी तालेडा को भिजवाये जाने के आदेश दिये गये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.11.24 में कोई विधिक दोष प्रकट नहीं होने से इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। फलस्वरूप अपील अपीलांटस सारहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावें।

आदेश आज दिनांक 06.01.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलक्टर बून्दी